तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2478/2005/भीलवाडा प्रकाश चन्द बनाम रामू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित** श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थी श्री जी.एस. लखावत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0-1 **निर्णय** **दिनांक 17.01.2019** अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-04-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में ग्राम मण्डोल स्थित आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 05बीघा भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05-02-1982 को आंवटित की गयी। इस आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी ने अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) का प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20-12-2001 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 06-04-2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2478/2005/भीलवाडा प्रकाश चन्द बनाम रामू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के आवंटन किये जाने से पूर्व आवंटन नियमों की पालना नहीं की गयी तथा प्रत्यर्थी संख्या-1 विवादित आराजी के आवंटन की पात्रता नहीं रखता था, क्योंकि उसका पेशा कृषि नहीं होकर मिस्त्री का है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 ने आवंटन नियमों की पालना में विवादित भूमि पर काश्त नहीं की। आवंटी भूमिहीन कृषण की श्रेणी में नहीं आता है तथा आवंटी ने तथ्यों को छुपाते हुए विवादित आराजी का आवंटन आदेश प्राप्त किया है, जो निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी का आवंटन किये जाने से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं की गयी तथा आवंटन बिना कोरम के अभाव में आवश्यक अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने से आवंटन निरस्त योग्य था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी के पक्ष में हुए आवंटन आदेश को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन नियमानुसार उनके पक्षकार के पक्ष में किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2478/2005/भीलवाडा प्रकाश चन्द बनाम रामू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि आवंटी ने आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना की गयी है तथा उनके द्वारा विवादित भूमि का आवंटन तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के आवंटन उपरान्त उनके पक्षकार द्वारा आवंटित रकबे पर काश्त की है तथा आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकारी भी आवंटी को प्राप्त हो चुके है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में ग्राम मण्डोल स्थित आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 05बीघा भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 05-02-1982 को आंवटित की गयी, जिसकी पालना में दिनांक 09-02-1983 को कब्जा प्रदान किया जाकर राजस्व रिकार्ड में आवंटित रकबा खसरा नम्बर 462/122 राजस्व अभिलेख में आवंटी रामू पिता रामकिशन के नाम दर्ज किया गया। प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में पारित आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत् अपीलार्थी की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) लगभग 17 वर्ष उपरान्त अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। जहां तक आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं किये जाने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2478/2005/भीलवाडा प्रकाश चन्द बनाम रामू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपरान्त आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त की है। अकाल के वर्षो में आवंटित भूमि पर काश्त नहीं किये जाने के आधार पर आवंटन आदेश को वर्षो उपरान्त खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार आवंटी के सद्भावी काश्तकार नहीं होने का प्रश्न है, एवं आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं किये जाने का प्रश्न है, आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटन के प्रार्थनापत्र में अपना व्यवसाय मिस्त्री लिखने मात्र से उसे सद्भावी काश्तकार नहीं माना जाना विधिसम्मत् नहीं है, आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष हल्का पटवारी ने यह बिन्दू आवंटन के प्रार्थनापत्र पर अंकित किया था। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित आराजी का आवंटन प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में बाद विचार एवं तथ्यों की जांच कर जारी किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन कमेटी द्वारा विवादित आराजी का आवंटन प्रावधित प्रक्रिया की पालना करते हुए आवंटन आदेश जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। ना ही आवंटन उपरान्त आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2478/2005/भीलवाडा प्रकाश चन्द बनाम रामू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं आवंटन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	